



—2286711

2286709

राज्य नगरीय विकास अभियान उ0प्र0

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

website—www.sudaup.org

पत्रांक 3007/241/NULM/तीन/2014(एन0एस0डी0सी0)

दिनांक 29/10/2015

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एन0एस0डी0सी0)
नई दिल्ली।

विषय: प्रशिक्षण लागत श्रेणी की दर एवं प्रथम किश्त (30%) के भुगतान हेतु प्रशिक्षण कार्य की प्रगति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्य में प्रगति लाने हेतु एस0यूएल0एम0, सूडा, उ0प्र0 और एन0एस0डी0सी0 के मध्य दिनांक 24.09.2015 को सूडा, उ0प्र0 में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या—2689A/241/NULM/तीन/2014 (एन0एस0डी0सी0) दिनांक 24.09.2015 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके प्रस्तर—2 के अनुसार MES कोर्सों की भौति NOS कोर्सों की घण्टों में अवधि एवं लागत श्रेणी का विवरण एन0एस0डी0सी0 द्वारा तैयार कर एस0यूएल0एम0, सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर लागत श्रेणी के अनुसार प्रति घण्टे के हिसाब से एन0एस0डी0सी0 को प्रशिक्षण लागत का भुगतान किया जायेगा।

आपके द्वारा उपरोक्तानुसार NOS कोर्सों की घण्टों में अवधि (प्रत्येक कोर्स/ट्रेड हेतु 430 घण्टे) एवं लागत श्रेणी उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में निविदा के माध्यम से इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को देय लागत श्रेणी—A श्रेणी हेतु ₹0 27.50 / एवं B श्रेणी हेतु ₹0 22.50 / की भौति एन0एस0डी0सी0 को भी A श्रेणी हेतु ₹0 27.50 / एवं B श्रेणी हेतु ₹0 22.50 / प्रति घण्टे के हिसाब से देय होगी, इसके अतिरिक्त आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सेक्टर/ट्रेडवार पाठ्यक्रम की सूची में कुछ ट्रेडवार पाठ्यक्रम के नाम नहीं उपलब्ध कराये गये हैं जिन पर पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अतः शीघ्र ही सभी ट्रेडवार पाठ्यक्रमों की सूची अवधि(घण्टे) एवं लागत श्रेणी के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

30% की प्रथम किश्त का भुगतान किये जाने हेतु शहरवार/संस्थावार/पाठ्यक्रमवार अवधि एवं लागत श्रेणी आधारित फार्मेट ई—मेल के माध्यम से दिनांक 28.10.2015 को आपको उपलब्ध करा दिया गया है। अतः अनुरोध है कि इस फार्मेट पर प्रशिक्षण कार्य की प्रगति शीघ्र उपलब्ध कराये जाकि भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके।

महोदय,

(इन्द्रपाल कनौजिया)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- संयुक्त सचिव, आवास एवं राहीं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, समस्त एन0एस0डी0सी0 जनपद।

4. उवत एन०एस०डी०सी० शहरों के समस्त परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट आफिसर एवं परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय पिकास अभिकरण, उ०प्र०।
5. वेब मास्टर, सूडा, को ई—गेल से प्रेषण एवं सूडा की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(इन्द्रपाल कौरजिया)
परियोजना निदेशक